

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आ.इ.एल.03आर0

सम्बन्ध में जाच की गई। जिसके अनुसार

कमर (11) ग्राम 2075-78 ख.ख.स.स. 122 में राजेश कुमार पु. शिंदे (1) को सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को सौंपा जा रहा है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

[Signature]
दिनांक - 12/11/21

क्र. राजस्व/2020/

दिनांक -

मूल ही उपखण्ड अधिकारी मा. उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/सही नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशुषा की जाती है/की जाती है।

1403
2021

[Signature]
तहसीलदार (उदयपुरवाटी) गुढागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुझुनू (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :- 12/11/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं:

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	कमर (11)	2075-78	122	राजेश कुमार पु. शिंदे (1)	राजेश कुमार पु. शिंदे (1)

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक - 12/11/21

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 1134-35
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को वास्तो पालनाथ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीयाको सूचनाथ।

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

